

इस मंत्रालय के अन्तर्गत इस प्रयाजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 11 दिसंबर, 1995 को सीसा ड्रस/अवशेष/स्लैम वाले 3,500 मीटर टन सीसे के आयात के लिए अनुमति दी गई थी। निर्यातकर्ता देश: दक्षिण कोरिया।

7. आयातकर्ता: मैसर्स इंडियन लेड लिमिटेड, बम्बई।

इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार उनकी ठाणे यूनिट में उपयोग के लिए ड्रस/अवशेष/स्लैम के आयात पर बातचीत करने के लिए दिनांक 21 नवम्बर, 1995 को अनुमति दी गई थी। अब तक किसी परीक्षण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।

*सभी आयातों की अनुमति परिसंक्रमण अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1989 तथा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत अपेक्षाएं पूरा करने पर दी जाती है।

मथुरा में रासायनिक कारखानों से होने वाला प्रदूषण

3702. श्री जगदम्बी मंडल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जिला मथुरा के तहसील छाता के अंतर्गत गांव बटैन कलां और बटैन खुर्द से मात्र एक कि०मी० की दूरी पर स्थित कुछ रासायनिक फैक्टरियों में से निकलने वाली जहरीली गैस तथा पानी से आस-पास के गांवों में रहने वाले सभी मनुष्यों का जीना मुश्किल हो गया है तथा वहां लोगों के मन में मौत का खौफनाक आतंक बना हुआ है;

(ख) क्या सरकार स्थानीय लोगों में व्याप्त भय को देखते हुए तुरंत इन फैक्टरियों को बंद करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़):

(क) जी, नहीं उत्तर प्रदेश में जिला मथुरा के छाता तहसील के अन्तर्गत गांव बटैन कलां और बटैन खुर्द से एक कि०मी० की दूरी पर स्थित औद्योगिक इकाई मुख्य उत्पाद के रूप में ईथाइल एल्कोहल और उप-उत्पाद के रूप में एल्डीहाइड, ऐसिटिक एसिड और ईथाइल ऐसीटेट

का उत्पादन करती है जिसके लिए वह कच्ची सामग्री के रूप में शीर का इस्तेमाल करती है। निर्माण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर जहरीली गैस न तो इस्तेमाल में लाई जाती है और न ही उत्पादित होती है। इस समय डिस्टिलेरी कार्य नहीं कर रही है और केवल रासायनिक इकाई कार्यरत है। तथापि, इस इकाई से उत्सर्जित हो रहे बहिष्काव निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उद्योग ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर देते हुए बताया है कि पूर्ण बहिष्काव शोधन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है।

कार्बेंट राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के बाघों द्वारा लोगों और पशुओं को मारा जाना

3703. श्री मनोहर कान्त ध्यानी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कार्बेंट राष्ट्रीय उद्यान के आदमखोर बाघों ने हाल ही में गढ़वाल और कुमाऊं में फिर से अनेक लोगों और पशुओं की जानें ले ली हैं;

(ख) यदि हां, तो मारे गए लोगों तथा पशुओं की संख्या कितनी है और क्या मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़):

(क) सरकार को गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में बिडाल जाति के जानवरों (बिग कैट्स) द्वारा लोगों के मारे जाने की जानकारी है, लेकिन वहां लोग 'तैदुए' द्वारा मारे गए न कि 'बाघ' द्वारा जिसे इन क्षेत्रों के निवासियों द्वारा 'बाघ' समझा गया।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जनवरी से मार्च, 1997 तक तीन मांस की अवधि के दौरान गढ़वाल क्षेत्र में पांच व्यक्ति और कुमाऊं क्षेत्र में एक बच्चे के मारे जाने की रिपोर्ट मिली है। इसके अलावा, 23 पशुओं के मारे जाने की रिपोर्ट है। मारे गए लोगों के निकटतम संबंधियों तथा पशुस्वामियों को मुआवजा देने के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।